

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 440]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 नवम्बर 2020—कार्तिक 18, शक 1942

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्र. 2033-1030-2020-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 87 के उपनियम (1) के साथ वर्णित नियम, 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के सामाजिक कार्यकर्ता के चयन हेतु तीन वर्ष के लिए राज्य स्तर पर उक्त नियमों के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, तहत् निम्नानुसार राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन करती है, अर्थात्:—

क्र. (1)	नाम एवं पता (2)	पद (3)	रिमार्क (4)
1	मा. न्यायाधीश श्री ए. के. सक्सेना	अध्यक्ष	से. नि. न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, म. प्र.
2	श्री श्रीकांत विट्ठेकर, ग्वालियर	सदस्य	गैर सरकारी संगठन
3	श्री अमिताभ सोनी	सदस्य	गैर सरकारी संगठन
4	डॉ. विश्वास चौहान, भोपाल	सदस्य	शैक्षणिक निकाय के प्रतिनिधि
5	श्रीमती प्रीति उपाध्याय, भोपाल	सदस्य	शैक्षणिक निकाय के प्रतिनिधि
6	श्री देवेन्द्र मोरे	सदस्य	बाल आयोग

No. 2033-1030-2020-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-rule (1) of Rule 87 read with Rule 88 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016, the State Government hereby constitutes the state level selection committee for the selection of child welfare committee and Juvenile Justice Board Social Members for the period of Three year in the state for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties on it such committee under the said rules namely:—

S. No. (1)	Name (2)	Designation (3)	Remark (4)
1	Hon. Justice Shri A. K. Saxena	Chairperson	Retd. Judge, High Court, M. P.
2	Shri Shrikant Witvekar, Gwalior	Member	Non Government Organization
3	Shri Amitabh Soni	Member	Non Government Organization
4	Dr. Vishvas Chauhan, Bhopal	Member	Academic Body Representative
5	Smt. Preeti Upadhyay, Bhopal	Member	Academic Body Representative
6	Shri Devendra More	Member	Children's Commission.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना मेहरा अटूट, उपसचिव.